छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 308/2006

श्री आलोक केशरवानी, ए–10, राजस्व कालोनी, डी.एल.एस.कालेज के सामने थारीडीह, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	....	अपीलार्थी
	विरूद्ध	
जन सूचना अधिकारी एवं सचिव, राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, क्वार्टर नं. बी/2, राजस्व कालोनी, डी.एल.एस.कालेज के सामने, थारीडीह, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 26 अक्टूबर 2006)

श्री आलोक केशरवानी के द्वारा संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर के द्वारा प्रथम अपील में आदेश पारित न करने के फलस्वरूप अपीलार्थी आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा आवेदन दिनांक 24–2–2006 के द्वारा जानकारी चाही थी कि राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को कितनी जमीन आबंटित की गई। इनके मकान के नक्शे की प्रति भी उपलब्ध कराई जावे। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप आवेदक के पिता श्री व्ही.के.केशरवानी ने संयुक्त पंजीयक को अपील प्रस्तुत की तथ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया। संयुक्त पंजीयक के द्वारा समिति को निर्देश दिये गये। अपीलार्थी ने जानकारी न मिलने के फलस्वरूप द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति राज्य शासन के द्वारा वित्तपोषित नहीं है तथा शासन के सीधे नियंत्रण में भी नहीं है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(ज) के अंतर्गत जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्क में बतलाया कि समिति के अध्यक्ष एवं सचिव ने अनाधिकृत रूप से आबंटित भूमि के अतिरिक्त कब्जा किया है, जिसके संबंध में जानकारी वह चाह रहा है।

4/ प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि अधिनियम सहकारी समिति पर प्रभावशील है अथवा नहीं। अपीलार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि यह स्पष्ट हो कि समिति को शासन की ओर से वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है अथवा समिति शासन के किसी अधिनियम के अंतर्गत सीधे गठित की गई है। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि उसे शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता तथा वह शासन के सीधे नियंत्रण में नहीं है।

5/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि समिति राज्य शासन के द्वारा वित्तपोषित नहीं है तथा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में नहीं है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं आता। अतः अधिनियम समिति पर प्रभावशील नहीं है तथा समिति चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देने हेतु बाध्य नहीं है। अतः अपीलार्थी को समिति से जानकारी इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो सकती। अपीलार्थी चाहे तो समिति के सदस्य के रुप में समिति से सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6/ उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त